

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना

(13)

116
115

संख्या:-

पटना, दिनांक :- 2.7.15

असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008(2008 का 33) की धारा 14 की उप धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाती है:-

अध्याय-1

1. (1) संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ -(1) यह नियमावली बिहार असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा नियमावली 2015 कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगी।
2. परिभाषाएं -(1) इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षा न हों:-
(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008(2008 का 33);
(ख) "बोर्ड" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 6 के अधीन गठित बिहार असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड ;
(ग) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, बोर्ड का अध्यक्ष ;
(घ) "सदस्य" से अभिप्रेत है, बोर्ड का सदस्य ;
(ङ.) "धारा" से अभिप्रेत है असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम की धारा ;
(च) सरकार से अभिप्रेत है श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
(छ) "असंगठित सेक्टर" से अभिप्रेत है व्यक्तियों अथवा स्वनियोजित कामगारों द्वारा और उत्पाद अथवा वस्तु बिक्री में लगा हुआ अथवा चाहे जिस किसी प्रकार की सेवा उपलब्ध करने वाला उपक्रम(Enterprise)और जहाँ उपक्रम(Enterprise)कामगारों को नियुक्त करता हों वहाँ वैसे कामगारों की संख्या 10 से कम हो।
(2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमावली में प्रयुक्त हैं और अपरिभाषित हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं।

अध्याय-2

बिहार राज्य असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन।

3. अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1) के अधीन राज्य सरकार असंगठित कामगारों के कल्याणार्थ कार्यों के संपादन हेतु प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं दिए गए दायित्वों के वहन के लिए " बिहार असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड" का गठन करेगी।

4. बोर्ड निम्नलिखित को मिलाकर गठित किया जाएगा :-

(क) मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार - अध्यक्ष(पदेन)

(ख) प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार - सदस्य सचिव(पदेन)

(ग) राज्यसरकार द्वारा मनोनित 28(अटाइस) सदस्य जो निम्नलिखित कोटि(Categories)के होंगे :-

(i) असंगठित कामगार के प्रतिनिधित्व करनेवाले 07 सदस्य

(ii) असंगठित कामगार के नियोजकों का प्रतिनिधित्व करनेवाले 07 सदस्य

(iii) विधानसभा के 02 सदस्य

(iv) सिविल सोसाइटी के प्रमुख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करनेवाले ऐसे 05 सदस्य होंगे जो असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण एवं बेहतरी के लिए कार्यरत हों और ऐसे लोग जिन्हें श्रम क्षेत्र या श्रम प्रशासन में कार्य करने का अनुभव हो।

(v) संबंधित विभागों के प्रतिनिधित्व करनेवाले 07 सदस्य

5. सदस्यों की पदावधि :- (1) पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य अपने नाम-निर्देशन की तारीख से तीन वर्ष के लिए पद धारण करेगा।

(2) धारा 6 की उप-धारा(2) के खंड(c) के उप-खंड(iii) के अधीन नाम-निर्देशित कोई सदस्य तब बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा यदि वह विधानसभा का सदस्य नहीं रह जाता।

(3) धारा 6 की उप-धारा(2) के खंड(c) के उप-खंड(i),(ii) एवं (iv) के अधीन नाम-निर्देशित कोई सदस्य बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा यदि वह उस कोटि का प्रतिनिधित्व नहीं करता हो।

परन्तु नियम 4(ग)(ii) के अधीन नाम निर्देशित सात व्यक्तियों में एक सदस्य अनुसूचित जाति से 01 सदस्य अनुसूचित जनजाति से, 01 सदस्य अल्पसंख्यकों से 01 और 01 सदस्य महिलाओं के प्रवर्ग से प्रतिनिधित्व करने के लिए होगा।

(4) कोई सदस्य पुनः नाम निर्देशन के लिए पात्र होगा।

(5) बोर्ड का कार्यकाल 03(तीन) वर्ष का होगा।

6. त्यागपत्र:- (1) बोर्ड का कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य नहीं है, अध्यक्ष को संबोधित करते हुए लिखित पत्र द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा।

(2) ऐसे सदस्य का स्थान उस तिथि से जिस तिथि से उसका त्यागपत्र स्वीकार होता है या जिस तिथि से त्यागपत्र की सूचना प्राप्त होती है, तीस दिनों की समाप्ति पर, जो भी पूर्वतः हो, रिक्त होगा।

(3) सदस्य के त्यागपत्र को स्वीकार करने की शक्ति अध्यक्ष में निहित होगी, जो त्यागपत्र स्वीकार करके बोर्ड को उसकी अगली बैठक में रिपोर्ट करेंगे।

7. पता में परिवर्तन - यदि कोई सदस्य अपने पता में परिवर्तन करता है तो वह अपना नया पता बोर्ड के सदस्य-सचिव को सूचित करेगा :

परन्तु यदि सदस्य अपना नया पता सूचित करने में असफल रहता है तो अभिलेख में पूर्व से अंकित पता, सभी प्रयोजनों के लिए, सदस्य का सही पता समझा जाएगा।

8. रिक्त स्थानों को भरने की रीति:- जब बोर्ड की सदस्यता में कोई रिक्ति होती है या होने की संभावना है तो अध्यक्ष राज्य सरकार को रिपोर्ट देंगे और ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, रिक्त स्थान को भरने के लिए किसी व्यक्ति को नाम-निर्देशित कर सकेंगी और इस प्रकार नाम-निर्देशित व्यक्ति उस सदस्य की शेष पदावधि तक, जिसके स्थान पर वह नाम निर्देशित किया जाता है, पद धारण करेगा।

9. सदस्यों के भत्ते:- (1) बोर्ड के किसी सरकारी सदस्य का यात्रा-भत्ता सरकारी कर्तव्य पर उसके द्वारा की गई यात्रा के लिए लागू नियमों के अनुसार मंजूर किया जाएगा और उसके वेतन की निकासी करनेवाले प्राधिकारी द्वारा यह मंजूर किया जाएगा।

(2) बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों को बोर्ड के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए यात्रा-भत्ता ऐसी दर पर मंजूर किया जाएगा जो राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को देय है। और दैनिक-भत्ते की गणना संबंधित स्थानों में राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को देय अधिकतम दर पर की जाएगी।

10. दायित्वों का निर्वहन - ऐसा प्रत्येक विषय, जिस पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित है। अध्यक्ष के निदेशानुसार, बोर्ड की किसी बैठक में/ पत्र/कागजात भेजकर/ विचार किया जाएगा और बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा :

परन्तु जहां किसी विषय पर बहुमत नहीं है। और बोर्ड के सदस्य समान रूप से विभाजित है। अध्यक्ष का मत द्वितीय और निर्णायक मत होगा।

11. बैठक-(1) बोर्ड की बैठक ऐसे स्थान और समय पर होगी जो अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाए और यह बैठक चार मास में कम से कम एक बार होगी।

(2) अध्यक्ष बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें वह उपस्थित हों और अपनी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने के लिए बोर्ड के किसी सदस्य को नाम निर्देशित कर सकेंगे और अध्यक्ष द्वारा ऐसे नाम-निर्देशन के अभाव में, ऐसी बैठक में उपस्थित बोर्ड के सदस्य अपने बीच में से किसी सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित कर सकेंगे।

(3) बैठक की सूचना एवं कार्यावली, बोर्ड के सदस्यों को प्रस्तावित बैठक की तिथि से सामान्यतया दो सप्ताह पूर्व दी जाएगी

(4) ऐसे विषय को छोड़कर जो बोर्ड के बैठक के लिए कार्यावली की सूची में सम्मिलित हैं, अन्य विषय पर, अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना, बैठक में विचार नहीं किया जाएगा।

(5) अध्यक्ष, अत्यावश्यकता की दशा में, विचार-विमर्श की विषयवस्तु और अत्यावश्यकता के कारणों के बारे में सदस्यों को अग्रिम सूचना देने के पश्चात्, किसी भी समय बोर्ड की विशेष बैठक बुला सकेंगे।

12. गणपूर्ति-(1) बोर्ड की किसी बैठक में तब तक कोई कार्य का संव्यवहार नहीं किया जाएगा जब तक कि उस बैठक में कम से कम छः सदस्य जिसमें राज्य विधानसभा का कम से कम एक सदस्य उपस्थित न हो :

परन्तु यदि किसी बैठक में छः से कम सदस्य उपस्थित हैं, तो अध्यक्ष उपस्थित सदस्यों को और अन्य सदस्यों को सूचना देकर कार्यों का निपटारा करने के लिए बैठक किसी अन्य तारीख को विनिश्चित कर सकेंगे, जिसमें गणपूर्ति अथवा उपस्थित सदस्यों की संख्या को ध्यान में लाए बिना कार्यों का निपटारा किया जा सकेगा।

(2) राज्य सरकार पदेन सदस्यों से भिन्न किसी सदस्य को बोर्ड की बैठक में भाग लेने से वर्जित कर सकेगी यदि-

(क) वह अध्यक्ष को लिखित सूचना दिए बिना और उसकी सहमति के बिना बोर्ड के तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है, या

(ख) राज्य सरकार की दृष्टि में ऐसा सदस्य उस हित का प्रतिनिधित्व नहीं करता है जिसके लिए वह बोर्ड के सदस्य के रूप में मनोनित किया गया है।

13. वैसे असंगठित कामगार, जिनकी आयु 14 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो और जो असंगठित कामगार होने संबंधी स्व-घोषणा-पत्र देंगे, निबंधन हेतु पात्र होंगे।

14. प्राधिकार - जिला प्रशासन द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति असंगठित कामगार के निबंधन के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा और उसके द्वारा असंगठित कामगार का निबंधन प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा।

15. आवेदन - प्रत्येक असंगठित कामगार विहित प्रपत्र में जिला पदाधिकारी के कार्यालय अथवा किसी अन्य अधिकृत कार्यालय में निबंधन हेतु आवेदन प्रपत्र-1 में देंगे।

16. निबंधन के पश्चात प्रत्येक असंगठित क्षेत्र के कामगार को जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा सुगमतापूर्वक रखे जानेवाला एक स्मार्ट कार्ड पहचान पत्र के रूप में निर्गत किया जाएगा जिसमें प्रत्येक कामगार के लिए अलग-अलग पहचान संख्या (Unique Identification Number) उल्लिखित होगा।

संख्या-श्रम क० स०-31/2014 श्र० सं०-188'

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(डा० एस. सिद्धार्थ)

सचिव।

अधिसूचना

पटना, दिनांक :- 2.7.15

एस० ओ० - दिनांक :- का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्य के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

संख्या-श्रम क० स०-31/2014 श्र० सं०-1884

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(डा० एस. सिद्धार्थ)

सचिव।

ज्ञापांक - श्रम क० सं०-31/2014 श्र० सं०- 1884 पटना, दिनांक:- 2.7.15
 प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
 अनुरोध है कि इस अधिसूचना को बिहार राज्य के असंधारण अंक प्रकाशित करते हुए राजपत्र की 500 प्रतियाँ श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाए।

(डा० एस. सिद्धार्थ)

सचिव।

ज्ञापांक - श्रम क० सं०-31/2014 श्र० सं०- 1884 पटना, दिनांक:- 2.7.15
 प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डा० एस. सिद्धार्थ)

सचिव।

ज्ञापांक - श्रम क० सं०-31/2014 श्र० सं०- 1884 पटना, दिनांक:- 2.7.15
 प्रतिलिपि : प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार सरकार/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार सरकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डा० एस. सिद्धार्थ)

सचिव।

ज्ञापांक - श्रम क० सं०-31/2014 श्र० सं०- 1884 पटना, दिनांक:- 2.7.15
 प्रतिलिपि : मुख्य सचिव/विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/योजना एवं आवास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

(डा० एस. सिद्धार्थ)

सचिव।

ज्ञापांक - श्रम क० सं०-31/2014 श्र० सं०- 1884 पटना, दिनांक:- 2.7.15
 प्रतिलिपि : मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/उप मुख्यमंत्री, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(डा० एस. सिद्धार्थ)

सचिव।

ज्ञापांक - श्रम क० सं०-31/2014 श्र० सं०- 1884 पटना, दिनांक:- 2.7.15
 प्रतिलिपि : सभी विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, श्रम संसाधन विभाग/श्रमायुक्त/संयुक्त श्रमायुक्त/सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/आय व्ययक प्रशाखा-02(प्रशाखा पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डा० एस. सिद्धार्थ)

सचिव।

प्रपत्र-1

बिहार असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा नियमावली 2014 के नियम 16 के अधीन असंगठित कामगार के निबंधन हेतु आवेदन पत्र

(1) (क) असंगठित कर्मकार का नाम :-.....

(ख) कर्मकार की आयु :-.....

(2) पिता/पति का नाम :-.....

(3) व्यवसाय :-

(4) वर्तमान पता :-

(5) स्थायी पता :-

(6) आश्रित :-

(क) पिता

(ख) माता

(ग) आश्रित बच्चे

(घ) अन्य

(7) यू.आई.डी. नंबर :-

हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान

नाम :-